भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2475
जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

**वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र**

**2475. श्री आदित्य यादव :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में लोक अदालतों, मध्यस्थता केन्द्रों और मुकदमेबाजी पूर्व निपटान मंचों सहित वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों के उपयोग और प्रभावकारिता का आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) सरकार द्वारा वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र के माध्यम से विवाद समाधान को बढ़ावा देने, न्यायालयों पर मामलों के बोझ को कम करने और जिला स्तर पर विवादों के शीघ्र समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए की गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) से (ग) :** सरकार द्वारा विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के संबंध में ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। तथापि, सरकार देश में माध्यस्थम और सुलह सहित वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्रों को बढ़ावा संवर्धन करना देना जारी रखे हुए है, क्योंकि ये तंत्र कम प्रतिकूलकारी हैं और विवादों को सुलझाने के पारंपरिक रीति का बेहतर विकल्प प्रदान करने में सक्षम हैं। सरकार इन तंत्रों को मजबूत करने और उन्हें अधिक प्रभावी और त्वरित बनाएं रखने के लिए नीतिगत और विधायी हस्तक्षेप भी कर रही है।

केंद्रीय सरकार द्वारा वर्षों से इस संबंध में उठाए गए प्रमुख कदमों और उपायों में माध्यस्थम और सुलह अधिनियम,1996 सम्मिलित है, जिसमें माध्यस्थम परिदृश्य में वर्तमान विकास के साथ गति बनाए रखने और माध्यस्थम को एक व्यवहार्य विवाद समाधान तंत्र के रूप में सक्षम बनाने के लिए वर्ष 2015, 2019 और 2020 में क्रमिक रूप से संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों का उद्देश्य माध्यस्थम कार्यवाही का समय पर समापन सुनिश्चित करना, मध्यस्थों की

निष्पक्षता, माध्यस्थ प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप को कम करना, माध्यस्थम निर्णयों का प्रभावी प्रवर्तन और संस्थागत माध्यस्थम का संवर्धन करना है।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में वर्ष 2018 में संशोधन किया गया, जिसमें पूर्व-संस्थागत माध्यस्थम और निपटान (पीआईएमएस) तंत्र का उपबंध किया गया। इस तंत्र के अंतर्गत, जहां किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद में तत्काल अंतरिम राहत की विचार नहीं है, पक्षों को न्यायालय में जाने से पहले पीआईएमएस के अनिवार्य उपाय का उपयोग करना होता है। इसका उद्देश्य पक्षों को माध्यस्थम के माध्यम से वाणिज्यिक विवादों को हल करने का अवसर प्रदान करना है।

भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र अधिनियम, 2019, संस्थागत माध्यस्थम को सुगम बनाने के उद्देश्य से एक स्वतंत्र, स्वायत्त और विश्व स्तरीय निकाय के सृजन कई प्रयोजन भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र की स्थापना का उपबंध करने और केंद्र को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। केंद्र की स्थापना हो चुकी है और इसका उद्देश्य माध्यस्थम के माध्यम से वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए एक निष्पक्ष विवाद समाधान मंच प्रदान करके घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पक्षों के बीच विश्वास जगाना है।

मध्यकता अधिनियम, 2023, विवाद करने वाले पक्षों द्वारा अपनाई जाने वाली मध्यकता के लिए विशेष रूप से संस्थागत मध्यकता के तत्वावधान में विधायी ढांचा अधिकथित करता है । मध्यकता अधिनियम, 2023 मध्यकता पर एक स्वतंत्र विधि प्रदान करने और न्यायालय के बाहर विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटारे की संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण विधायी हस्तक्षेप साबित होने की की आशा की जाती है।

लोक अदालतों का आयोजन देश भर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालतें) विनियम, 2009 के साथ पठित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के उपबंधों के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 2 (ककक) के अधीन यथापरिभाषित न्यायालयों और अधिकरणों में उक्त अधिनियम और विनियमों के अधीन यथा विहित विषयों के लिए किया जाता है। लोक अदालतों में न्यायालयों में विवादों या लंबित मामलों पर या मुकदमे से पहले के चरण में सभी मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने का प्रयास किया जाता है। न्याय प्रशासन की एक त्वरित, कम खर्चीली और तेज प्रणाली के रूप में इसकी प्रभावशीलता को मान्यता देते हुए, लोक अदालत को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन कानूनी प्रास्थिति प्रदान की गई है। लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय सिविल न्यायालय के डिक्री के समान माना जाता है और यह सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होता है। इस निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती।

**********